125

संख्याः8/9/XVIII(2)/2012–1(59)/1

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 8- 5- 2012

विषयः–सृष्टि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन द्वारा सृष्टि विकास समिति, हरिद्वार को ग्राम नल्हेड़ा अनन्तपुर, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में बी0एड0 कालेज की स्थापना हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि दान में प्राप्त किए जाने की अनुमति के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–925/भूमि व्यवस्था–2010 दि0–31.12.2010 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, सृष्टि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन द्वारा सृष्टि विकास समिति, हरिद्वार को ग्राम नल्हेड़ा अनन्तपुर, परगना भगवानपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में बी0एड0 कालेज की स्थापना हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि दान में प्राप्त किए जाने की अनुमति, उच्च शिक्षा विभाग की सहमति, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के क्रम में, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 154(2) के अन्तर्गत आपके द्वारा अनुमोदित एवं संस्तुत खाता/खसरा संख्याओं के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– संस्था धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि दान में प्राप्त किए जाने के लिए अर्ह होगा।

2– संस्था बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– संस्था द्वारा दान में प्राप्त की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, *जिसकी गणना भूमि के दानपत्र की पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा* उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर *जिसको राज्य सरकार द्वारा* ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (बी0एड0 कालेज की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये संक्रमण उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

.....2

4– जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार पूर्व अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंकमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– इस संबंध में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 123 के अंतर्गत अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित दाननामा रजिस्ट्रीकृत करा लिया जाएगा।

8– किसी भी दशा में प्रस्तावित संस्था को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि दान के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

9– भूमि का संकमण अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में संकमण किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

10– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तत्कम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0–819/समदिनांकित 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रबंधक सृष्टि विकास समिति 711/84 ए मथुरा विहार, पश्चिम अम्बर तलाब, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार।
6– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।